

25/8/22

वकील जी को उपस्थित सुना गया
पत्राचार का अनुरोध किया गया
यह सुनातिली प्रकृत पर कार्रवाई
तद्वकीलद्वारा कुठरे की चीरेड करके
के खिलाफ प्रेश किया गया जो की चीरेड
करके का स्थानान्तरण से प्रकृत है
ऐसी स्थिति के प्रकरण प्रकाश हीन
होने से खारिज किया जाता है।
पत्राचार केसल युगा होकर बाद
कार्रवाई काखिले इफ्तार है।

A

जिला कलेक्टर
असम रायबः